न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– रामनाथ शर्मा उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या 96/2021

1. धापी पत्नी श्योपत जाति जाट निवासी मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर। –वादी–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर। –प्रतिवादी–

उपस्थित :–

1 श्री नेतराम सियाग वादी वकील
2. पेरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए,188 आरटीए 136 एलआरएक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07/02/23

वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की भूमि मौजा रोही मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर के खेत खसरा नम्बर 129/298 तादादी 40 बीघा जिसमें रामेश्वरलाल के नाम से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। खातेदार रामेश्वरलाल ने जरिये बैनामा दिनांक 26.12. 2006 वादीनी के पक्ष में विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया एवं वादीनी को कब्जा सौंप दिया। इससे पूर्व रामेश्वरलाल का कब्जा काश्त था। खरीद के दिन से वादीनी का कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। एवं वादीनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में विक्रय–पत्र के आधार पर इन्तकाल तस्दीक हुआ। उसके पश्चात वादीनी द्वारा उपरोक्त भूमि पर ऋण प्राप्त किया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 129/298 तादादी 20 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 438 तादादी 5.06 हैक्टेयर भूमि रिकार्ड में दर्ज हुई जो नक्शे में तरमीम है जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त है जिसकी जमाबन्दी संलग्न हैं। ग्रव मोहकमपुरा उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बाद वादगत भूमि चक 2 एमजीडी में दर्ज की गई। सम्वत 2078 की जमाबन्दी में तादादी 19.18 बीघा भूमि वादीनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की गई। जो चक 2 एमजीडी के मु0नं0 102/9 के कि0नं0 24 में 1 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैर मुमकीन [illegible] मु0नं0 102/10 के कि0नं0 2 मे 1.0 बीघा गैर मुमकीन कि[illegible] कि.नं. 6ता8 मे 3.0 बीघा कमांड, कि0नं0 9 में 1.0 बीघा गैर मुमकिन कि0नं0 1[illegible] 1.0 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैर मुमकिन सहित कि0नं0 13ता16 में 4.0 बीघा कमांड, कि0नं 17 ता 19 में 3.0 बीघा कमांड , कि0नं0 22 ता 24 में 3.0 बीघा कम[illegible] कुल तादादी 18.0 बीघा (9.10 कमांड एवं 06 बीघा अनकमांड, 2.10 बीघा गै.मु.) मु0नं0 102/18 के किला नं0 20 में 18 बिस्वा कमांड इस प्रकार कुल तादादी 19.18 बीघा कमांड गैर मुमकिन सहित (10.18 बीघा कमांड, 6.0 अनकमांड, 3.0 गैरमुमकिन) दर्ज की गई। वादीनी की खातेदारी भूमि मे से 3.0 गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन की गई। उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन दर्ज करने का किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sha
Date: 2023.02.13 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को कोई ओदश नहीं था ना ही वादीनी की खातेदारी भूमि को वादीनी द्वारा गैर मुमकिन रिकॉर्ड में अंकन करने की स्वीकृति थी। इस कारण वादीनी की खातेदारी भूमि को कम करने या गैर मुमकिन करने का आदेश नहीं होते हुवे भी राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन विधि विरूद्ध जाकर दर्ज की गई। इस कारण वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की घोषणा कराने के अधिकार हैं।

वादीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन दर्ज किसके आदेश की गई। उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करने के लिये तहसीलदार महोदय को निवेदन किया। तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। जिसमें पटवारी हल्का ने वादीनी की खातेदारी भूमि में मु0नं. 102/10 के किला नं. 08 में 04 बिस्वा, कि0नं0 09 में 15 बिस्वा, कि0नं0 12 में 1.0 बीघा , कि.नं. 13 में 09 बिस्वा , किला नं. 18 में 1 बिस्वा, कि0न0 19 में 05 बिस्वा कुल 2.14 बीघा पर स्कुल व चार दिवारी बताई गई एवं वादीनी के पास मु0नं0 102/10 के कि0न0 21 में 1.0 बीघा अनकमांड मु0न0 102/2 के किला नं0 14 में 1.0 बीघा कमांड , किला नं0 17 में 1.0 बीघा कमांड, किला नं. 24 बीघा कमांड, किला नं0 25 में 1.0 बीघा कमांड अराजीराज दर्ज बताई गई । उक्त प्रार्थना पत्र पुनः तहसीलदार के समक्ष पेश होने पर तहसीलदार महोदय ने उक्त मामला शुद्धि का बताते हुवे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं लिखते हुवे वादीनी को प्रार्थना पत्र मूल ही लौटा दिया। उक्त भूमि में जो गैर मुमकिन दर्ज की गई उसमें स्कुल भी नहीं बनी हुई हैं। जो स्कुल बनी हुई हैं वो अन्य किलो में बनी हुई हैं। इस कारण वादीनी अपनी खातेदारी भूमि जो स्कुल में आई है उसके बदले अराजीराज भूमि प्राप्त करने की हकदार हैं। जिसकी घोषणा की जावे। वादीनी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष कई बार लिखित व मौखिक आवेदन किया किन्तु वादीनी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मुममिन गैर मुमकिन हटाने का निवेदन किया किन्तु तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई किन्तु तहसीलदार महोदय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया। फिर वादीनी दिनांक 30.09.2021 को पुनः निवेदन किया । तहसीलदार महोदय ने स्पष्ट राजस्व रिकार्ड मे से गैर मुमकिन हटाने से मना कर दिया तब वादीनी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल हुवा। घोषणात्मक डिगरी बहक खिलाफ प्रतिवादी इस विनाय की जारी फरमाई जावे की वादगत खातेदारी कृषि भूमि मौजा मोहकमपुरा के पुराना खसरा नम्बर 129/298 तादादी 20.0 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 438 तादादी 5.06 हैक्टेयर जिसके चक 2 एमजीडी के मु0नं0 102/9 के कि0न0 24 में 1.0 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैरमुमकिन सहित , मु0न0 102/10 के कि0नं0 2 में 1.0 बीघा गैर मुमकिन , कि0नं0 3–4 में 2.0 बीघा कमांड, कि0नं0 06ता08 में 03 बीघा कमांड, किला नं. 09 में 1.0 बीघा गैर मुमकिन , कि0नं0 12 में 1.0 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैर मुमकिन सहित, कि0नं0 13ता 16 में 04 बीघा कमांड , कि0नं0 17 ता 19 में 03 बीघा कमांड , कि[illegible] ता 24 में 03 बीघा कमांड कुल तादादी 18 बीघा (9.10 [illegible] कमांड, 2.10 बीघा गैर मुमकिन) मु0नं0 102/18 के किला नं0 20 [illegible] कमांड इस प्रकार कुल तादादी 19.18 बीघा कमांड गैर मुमकिन सहित (10.18 बीघा कमांड, 6.0 बीघा अनकमांड, 3.0 गैर मुमकिन)दर्ज की गई जो वादीनी [illegible] पुरानी खरीदशुदा भूमि होने के कारण मु0नं0 102/09 के कि0नं0 24 में 10 बिस्वा , मु0नं0 102/10 के कि0नं0 2 में 1.0 बीघा, कि0नं0 09 में 1.0 , कि0नं0 12 में 10 बिस्वा कुल तादादी 3.0 बीघा भूमि गैर मुमकिन बिना किसी आदेश के कारण दर्ज की गई हैं। इस कारण वादीनी गैर मुमकिन के स्थान पर अपने नाम की घोषणा कराने की हकदार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

राजपैरोकार द्वारा बहस में वाद – पत्र के उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब पेश किया गया । वाद–पत्र के तथ्य राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार किये गये शेष वादी स्वयं सिद्ध करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अघ्ययन किया । प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं बहस से यह प्रतीत होता है की रोही मौजा मोहकमपुरा के पुराना खसरा नम्बर 129/298 तादादी 20.0 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 438 तादादी 5.06 हैक्टेयर जिसके चक 2 एमजीडी के मु0नं0 102/9 के कि0न0 24 में 1.0 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैरमुमकिन सहित , मु0न0 102/10 के कि0नं0 2 में 1.0 बीघा गैर मुमकिन , कि0नं0 3–4 में 2.0 बीघा कमांड, कि0नं0 06ता08 में 03 बीघा कमांड, किला नं. 09 में 1.0 बीघा गैर मुमकिन , कि0नं0 12 में 1.0 बीघा कमांड 10 बिस्वा गैर मुमकिन सहित, कि0नं0 13ता 16 में 04 बीघा कमांड , कि0नं0 17 ता 19 में 03 बीघा कमांड , कि0नं0 22 ता 24 में 03 बीघा कमांड कुल तादादी 18 बीघा (9.10 बीघा कमांड, 6.0 बीघा अनकमांड, 2.10 बीघा गैर मुमकिन) मु0नं0 102/18 के किला नं0 20 में 18 बिस्वा कमांड, इस प्रकार कुल तादादी 19.18 बीघा कमांड गैर मुमकिन सहित (10.18 बीघा कमांड, 6.0 बीघा अनकमांड, 3.0 गैर मुमकिन)दर्ज की गई जो वादीनी की पुरानी खरीदशुदा भूमि होने के कारण मु0नं0 102/09 के कि0नं0 24 में 10 बिस्वा , मु0नं0 102/10 के कि0नं0 2 में 1.0 बीघा, कि0नं0 09 में 1.0 , कि0नं0 12 में 10 बिस्वा कुल तादादी 3.0 बीघा भूमि गैर मुमकिन बिना किसी आदेश के कारण दर्ज की गई हैं। उक्त सम्बन्ध में राजपैरोकार द्वारा किसी प्रकार के तथ्य पेश नहीं किये गये हैं। अतः वाद–पत्र वादीनी स्वीकार किया जाता हैं। मुताबिक पत्रावली मौजा रोही चक 2 एमजीडी के मु0नं0 102/09 के किला नं.0 24 में 10 बिस्वा, मु0नं0 102/10 के कि0नं0 2 में 1.0 बीघा, किला नं.0 09 में 1.0 बीघा, किला नं0 12 में 10 बिस्वा कुल तादादी 3.0 बीघा किस्म गैर मुमकिन से कमांड एवं मु0नं0 102/10 के कि0नं0 08 में 04 बिस्वा, कि0नं0 9 मे 15 बिस्वा, कि0नं0 12 मे 1.0 बीघा, कि0नं0 13 में 09 बिस्वा, कि0नं0 18 मे 1 बिस्वा , कि0नं0 19 में 05 बिस्वा गैर मुमकिन स्कुल के नाम दर्ज किया जावे एवं मु0नं0 102/10 के कि0नं0 21 में 1.0 बीघा अनकमांड, मु0नं0 102/2 के कि0नं0 24 में 0.14 बीघा कमांड, कि0नं0 25 में 1.0 कमांड कुल तादादी 2.14 बीघा अराजीराज से वादीनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। आदेश अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/02/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2023.02.13 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

(रामनाथ शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर